

प्रेषक,

जय प्रकाश तिवारी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद, उ0प्र0,  
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-12

लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2506-भूमि सुधार-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0101-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता-27-सब्सिडी योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-832/15सी0-42(3)/2018-19 दिनांक 02.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-157/एक -12-2018-रा0-12 दिनांक 17.04.2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2506-भूमि सुधार-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता-27-सब्सिडी योजना के अन्तर्गत प्राविधानित रूपये-1.00लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि, जो उक्त शासनादेश दिनांक 17.04.2018 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी, के सापेक्ष जनपद फतेहपुर के लिए रूपये-1,950.00 (रूपये एक हजार नौ सौ पचास मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिए दी जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व्यय कर ली जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2506-भूमि सुधार-789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0101-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता-27-सब्सिडी योजना के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(जय प्रकाश तिवारी)  
संयुक्त सचिव।  
2/----

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-1/2019/06(1)/एक-12-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, 30 प्र०, इलाहाबाद ।
- 2- प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, 30 प्र०, इलाहाबाद।
- 3- जिलाधिकारी, फतेहपुर।
- 4- कोषाधिकारी, फतेहपुर।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 6- समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ)/ राजस्व अनुभाग-6
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)

संयुक्त सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।